

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी/वादीगण

कालूराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट
नेवासी-भगवानपुरा, तहसील-नावां

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

बनाम

प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

भंवरलाल पुत्र कालूराम जाति जाट
निवासी-भगवानपुरा, तहसील-नावां

संख्या - 64/2026

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
18.03.2026	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 आर टी एक्ट 1955 के तहत पेश किया है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 24.04.2026 को पेश हो।</p> <p>(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 18.03.2026 को दर्ज हुआ है। प्रकरण न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील वादी न तो प्रकरण में सम्मन तलबी हेतु प्रस्तुत किये है। ना ही स्वयं आज प्रकरण में पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित आये है।</p> <p>अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 53, 188 एक्ट 1955 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	

4/4/26